उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-126/2015/1105/38-1-2015-1 पदोन्नति/2014

लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 में कार्यरत श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी, सीतापुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त /उपायुक्त (श्रम) तथा उपायुक्त (स्वत:- रोजगार) (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0 6600) के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर-10 (छ) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में उक्त प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिए होगी और शासन को उक्त तदर्थ प्रोन्नति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार होगा तथा तदनुसार आपको उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिस पद से आपको प्रोन्नत किया गया है।

2- श्री प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव की उक्त तदर्थ रूप से प्रोन्नति इनके विरूद्ध आदेश संख्या-2884/38-1-2005-6अभि0/2005, दिनांक 08;09;2005 द्वारा स्वीकृत अभियोजन में पारित निर्णय के अधीन होगी।

3- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान के अनुरूप चिन्हित पद-जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त/उपायुक्त (श्रम) तथा उपायुक्त (स्वत:-रोजगार) पर तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच आप अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

श्री राज्यपाल की ओर से,

उमा कान्त मिश्र

उप सचिव

संख्या-126/2015/1105(1)/38-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(4) मण्डलायुक्त, लखनऊ।
(5) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर ।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर ।
(5) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in